

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)2022
27/7

अज अदालत (नरेश सोनी)
सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा बमुकाम

जगदीश सिंह को बनाम इंद्राद को

किस्म मुकदमा 53,188RTA नं. 93 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.6.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री <u>.....</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53,188</u> राजस्थान काश्तकारी सू अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/ररेस्पोंडेंट को नोटिस/सम्मन की प्रति जरिये रजिस्टर्ड ए.डी के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक <u>21.7.22</u> को पेश हो।</p> <p>(नरेश सोनी) सहायक कमिश्नर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
21/7/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्व कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक <u>21/9/22</u> को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
23.8.22	<p>वकील वारीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विहोत करने काबत पेश करने पर पत्रावली पत्रावली आज पेशी तारिख पर तलब सी गई। वारीगण वकील ने विवेक किया है कि वारीगण व प्रतिवारीगण के मध्य शपथनामा हो चुका है। फर्द वाद जरिये विहोतवारिज फरमना लगे।</p> <p>वारीगण वकील को सुना, पत्रावली का इन्तेकर कइ फर्मा दिया जात और अर्जन पर स्वीकार कर वारीगण का वाद जरिये विहोत स्वरिज किया जात है।</p> <p>पत्रावली के लख हुमात होकर खबर ले काम होकर साखिरा स्फर हो।</p> <p>(नरेश सोनी) सहायक कमिश्नर (S.D.O.) बालोतरा</p>	<p>Not Paced</p> <p><i>(Signature)</i></p>